



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 278 सन् 2026

कृष्णानंद शर्मा

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

...प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता :

संतोष कुमार सिंह

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता :

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार सिंह और राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की दलीलें सुनीं।
- श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, द्वारा यह कथन किया गया है कि उनके पास पूरी जानकारी है और वे प्रकरण की पैरवी करने की स्थिति में हैं। वे कोई प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं तथा आगे यह प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिका का निस्तारण अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
- पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।



4. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उनके पिता स्वर्गीय फेको शर्मा, जो बोरिंग तकनीशियन के पद पर तैनात थे, का निधन वर्ष 1988 में सेवाकाल के दौरान हो गया था। याचिकाकर्ता को 26.12.1990 को अनुकंपा नियुक्ति दी गई और उन्होंने कार्यकारी अभियंता, खनन सिंचाई प्रभाग, महाराजगंज के कार्यालय में चपरासी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। याचिकाकर्ता के अनुसार, वे कनिष्ठ क्लर्क के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र थे। एक योग्यता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम क्रमांक 1 पर था। उत्तर प्रदेश खनन सिंचाई विभाग (क्लर्क कैडर/लेखाकार एवं लेखापरीक्षा) नियम, 1992 के अनुसार, याचिकाकर्ता के दावे पर निर्धारित कोटा के तहत विचार किया गया और 03.06.2024 को उन्हें कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया और उन्होंने 03.07.2024 को कार्यभार ग्रहण किया। याचिकाकर्ता की पात्रता के संबंध में एक शिकायत दर्ज की गई और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया गया। उसकी बात सुनी गई। हालांकि, याचिकाकर्ता की बात सुने बिना, 20.12.2025 को कार्यकारी अभियंता, खनन सिंचाई प्रभाग, देवरिया/ प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता की कनिष्ठ क्लर्क के पद पर पदोन्नति रद्द कर दी गई।

5. उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए यह रिट याचिका दायर की गई है।

6. आज श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, कार्यकारी अभियंता, खनन सिंचाई प्रभाग, देवरिया द्वारा दिनांक 09.09.2025 को निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि चुनौती दिए गए आदेश को मान्य नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह याचिकाकर्ता को सूचित किए बिना, उसकी पीठ पीछे एकतरफा पारित किया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि चुनौती दिए गए आदेश में दो आधार हैं: पहला, याचिकाकर्ता की पदोन्नति का आदेश आम चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान पारित किया गया था, और दूसरा, कनिष्ठ सहायक के अतिरिक्त पद पर नियुक्त व्यक्तियों के समायोजन के अधिकार पर विचार नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अनूप कुमार गुप्ता ने भी कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति के अपने दावे पर विचार करने और समायोजन के लिए रिट याचिका संख्या



10324 सन् 2024 दायर की थी, लेकिन यह रिट याचिका आज तक लंबित है और याचिकाकर्ता की पदोन्नति पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है।

8. श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश पूर्णतः वैध और कानून के अनुरूप है तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की पदोन्नति नियमों के विरुद्ध है क्योंकि अन्य योग्य उम्मीदवार भी हैं जिन्हें पदोन्नति और नियुक्ति दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि केवल याचिकाकर्ता की सुनवाई न होने के आधार पर आदेश को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता।

9. मैंने बार के समक्ष प्रस्तुत की गई दलीलें सुनी हैं और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

10. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद 03.06.2024 को उन्हें जूनियर क्लर्क के पद पर पदोन्नत किया गया और उन्होंने 03.07.2024 को कार्यभार ग्रहण किया। आक्षेपित आदेश को देखने मात्र से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह याचिकाकर्ता को सूचित किए बिना पारित किया गया है। विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, से यह स्पष्ट प्रश्न पूछे जाने पर कि क्या याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था, उत्तर नकारात्मक है। यह स्थापित कानून है कि दीवानी परिणामों से संबंधित कोई भी आदेश प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करने और उनकी प्रतिक्रिया तथा उस पर विचार करने के बाद ही पारित किया जा सकता है।

11. महत्वपूर्ण बात यह है कि उक्त प्रक्रिया का अभाव है। आक्षेपित आदेश से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि यह धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी का प्रकरण है। ऐसी स्थिति में, प्रत्यर्थीगण का यह दायित्व था कि वे याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करें और कारण बताओ नोटिस के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों/बयानों पर विचार करें। किसी भी स्थिति में, यदि याचिकाकर्ता की पदोन्नति त्रुटिपूर्ण थी, तो कम से कम याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए था। अतः चुनौती दिए गए आदेश को मान्य नहीं ठहराया जा सकता। तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों पर किया जा रहा है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ए) कार्यकारी अभियंता, खनन सिंचाई प्रभाग, देवरिया/ प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा दिनांक 20.12.2025 को पारित आदेश अपास्त किया जाता है।

(बी) प्रकरण को पांचवें प्रत्यर्थी, कार्यकारी अभियंता, खनन सिंचाई प्रभाग, देवरिया को पुनः आदेश पारित करने के लिए वापस भेजा जाता है।

12. इस स्तर पर, श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता को 13.02.2026 तक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। याचिकाकर्ता 28.02.2026 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करे। आदेश 31.03.2026 तक पारित किया जाए।

13. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

14. आज दाखिल किए गए निर्देश अभिलेख में दर्ज कर लिए गए हैं और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किए गए हैं।

14 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)